

वर्मनि जानवरों की हत्या

प्रलिस के लयि:

वन्यजीव संरक्षण अधनियम, 1972, वर्मनि, वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2021 ।

मेन्स के लयि:

वभिनिन वनस्पतयिों और जीवों के संरक्षण में वन्यजीव संरक्षण अधनियम, 1972 का योगदान । वर्मनि जानवरों की हत्या पारसिथतिकी तंत्र की खाद्य शृंखला के लयि गंभीर खतरा पैदा करती है ।

चर्चा में क्यो?

[वन्यजीव \(संरक्षण\) संशोधन वधियक, 2021](#) को दसिंबर 2021 में [वन्यजीव \(संरक्षण\) अधनियम, 1972](#) में संशोधन करने के लयि संसद में पेश कयिा गया था ।

- संशोधन का मूल उद्देश्य परसिथतिकी में परविरतन के अनुसार, अधनियम को संरेखति करना और **वर्मनि/पीडक जानवरों की हत्या** के उचति समाधान के अनुकरण का प्रयास करना है ।

वर्मनि:

- **वर्मनि** मूल रूप से **समस्याग्रस्त या हानिकारक जानवर हैं क्योकवे मनुष्यों, फसलों, पशुओं या संपत्तिके लयि खतरा होते हैं ।**
- प्रजातयिों जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधनियम, 1972 की **अनुसूची V** में रखा गया है, उन्हें **वर्मनि** के रूप में वर्गीकृत कयिा गया है ।
 - **उदाहरण:** कौवे, फल चमगादड़, चूहे जनिका स्वतंत्र रूप से शकिार कयिा जा सकता है ।
- अधनियम वर्मनि शब्द को परभाषति नहीं करता है । **वन्यजीव संरक्षण अधनियम की धारा 62** केंद्र सरकार को कसिी भी जंगली जानवर को वर्मनि घोषति करने की शक्ति प्रदान करती है ।
- वन्यजीव संरक्षण अधनियम, 1972 की **अनुसूची I और अनुसूची II** में शामिल जंगली जानवरों की प्रजातयिों को वर्मनि घोषति नहीं कयिा जा सकता है ।
 - एक जानवर को कसिी भी नरिदषिट क्षेत्र और नरिदषिट अवधके लयि वर्मनि के रूप में घोषति कयिा जा सकता है ।
- मानव-वन्यजीव संघर्षों को रोकने के लयि अतीत में कई राज्यों ने **हाथी, भारतीय साही, बोनट मकाक, लंगूर और भौकने वाले हरिण** सहति वभिनिन जानवरों को **वर्मनि** घोषति करने के लयि याचिका दायर की है ।
- केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में **रीसस बंदर, उत्तराखंड में जंगली सूअर और बिहार में नीलगाय को वर्मनि घोषति कयिा है ।**

वन्यजीव (संरक्षण) अधनियम, 1972:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधनियम, 1972 जंगली जानवरों और पौधों की वभिनिन प्रजातयिों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, साथ ही जंगली जानवरों, पौधों एवं उनसे बने उत्पादों के व्यापार के वनियमन व नरिंतरण के लयि **कानूनी ढाँचा** प्रदान करता है ।
- अधनियम में पौधों और जानवरों की अनुसूचयिों को भी सूचीबद्ध कयिा गया है जनिकी सरकार द्वारा सुरक्षा व नगिरानी की जाती है ।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधनियम, 1972 में वर्तमान में **छह अनुसूचयिों** हैं जो जानवरों और पौधों को **अलग-अलग** सुरक्षा प्रदान करती हैं ।
- **अनुसूची I और अनुसूची II के भाग II** में सूचीबद्ध नसलों एवं वर्ग के जानवरों को सर्वोच्च सुरक्षा मलिती है । उदाहरण के लयि हिमालयन ब्राउन बीयर, भारतीय हाथी, गोल्डन गेकोस, अंडमान टील, हॉर्नबलिस, ब्लैक कोरल, अमारा बरूसी तथा कई अन्य । इनके तहत अपराधों के लयि उच्चतम दंड नरिधारति कयिा गया है ।
- **अनुसूची III और अनुसूची IV** में सूचीबद्ध नसलों और वर्ग के जानवर भी सुरक्षति हैं, उदाहरण के लयि बार्कगि हरिण, बाज़, कगिफशिर, कछुआ आदि, लेकनि दंड तुलनात्मक रूप से बहुत कम है ।
- **अनुसूची V** में वे जानवर शामिल हैं जनिका शकिार कयिा जा सकता है । उदाहरण के लयि कौआ, चूहे और मूषक, फल चमगादड़ आदि ।
- **अनुसूची VI** में वर्णति पौधों, पेड़ों और फसलों की खेती एवं रोपण से प्रतबिधति कर दयिा गया है । उदाहरण के लयि कूठ, रेड वांडा, पचिर प्लांट आदि ।

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2021 के माध्यम से संभावित परिवर्तन:

- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2021 एक महत्त्वपूर्ण संशोधन के रूप में अनुसूचियों की संख्या को छह से घटाकर चार कर दिया गया है।
 - अनुसूची I में उन प्रजातियों को शामिल किया जाएगा जिन्हें उच्चतम स्तर के संरक्षण की आवश्यकता है।
- अनुसूची II में उन प्रजातियों को शामिल किया जाएगा जिन्हें कम संरक्षण की आवश्यकता है।
- जबकि अनुसूची III में पौधों को शामिल किया जाएगा।
- यह अनुसूची V को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रावधान करता है। यह वर्मिन प्रजातियों को किसी भी प्रकार की अनुसूची से बाहर करता है। वर्मिन शब्द उन छोटे जानवरों को संदर्भित करता है जो बीमारियों का प्रसार और खाद्य पदार्थों को दूषित/हानि पहुँचाते हैं।
- यह CITES (अनुसूचित प्रजातियों) के तहत परशिषिटों में सूचीबद्ध प्रजातियों के लिये एक नए कार्यक्रम को शामिल करता है।
- केंद्र सरकार को किसी भी प्रजाति को वर्मिन प्रजाति के रूप में घोषित करने का अधिकार होगा।
- इस प्रकार किसी भी प्रजाति को वर्मिन प्रजाति की श्रेणी में रखना आसान हो जाता है।
- यह परिवर्तन संभावित रूप से सतनधारियों की 41 प्रजातियों, 864 पक्षियों, 17 सरीसृपों और उभयचरों एवं 58 से अधिक कीड़ों की प्रजातियों को प्रभावित कर सकता है।

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2021 की आवश्यकता:

- बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष ने जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिये खतरा पैदा कर दिया है।
 - फसल/पशुधन क्षति के रूप में ऐसी घटनाएँ देश के विभिन्न भागों से व्यापक रूप से रिपोर्ट की जाती हैं।
 - हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2016 में जंगली जानवरों, विशेष रूप से बंदरों के कारण 184.28 करोड़ रुपए की फसल की हानि दर्ज की गई।
- वर्ष 2017 के बाद से तमिलनाडु में जंगली जानवरों द्वारा कृषि को नुकसान पहुँचाने की 7,562 घटनाएँ दर्ज की गई हैं।

कीट और पारस्थितिक असंतुलन का इतिहास:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में उल्लिखित जेनेसिस वर्मिन की श्रेणी औपनिवेशिक काल की है जो न्यूनतम वैज्ञानिक आधारों पर वर्गीकृत है।
 - ट्यूंडर वर्मिन अधिनियम अवांछनीय जानवरों और कृषि को हानि पहुँचाने वाले कीटों को समाप्त करने का प्रावधान करता है।
- अनाज संरक्षण अधिनियम, 1952, वर्मिन अधिनियमों में से एक था जिसमें वर्मिन की श्रेणी में शामिल प्रजातियों की एक आधिकारिक सूची जारी की गई।
 - उल्लू, ऊदबलिव, लोमड़ी, हेजहॉग और अन्य संबंधित जानवरों को मनुष्यों के साथ भोजन के प्रतद्विंदी के रूप में माना जाता है।
- वर्तमान प्रोत्साहन प्रदान कर भारत सरकार ने एक व्यापक वर्मिन आबादी को समाप्त करने की अनुमति दे दी है।
 - उदाहरण के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रत्येक वर्मिन बंदर को मारने पर 500-700 रुपए देने की घोषणा की है।
- सरकार के इस रवैये से गंभीर पारस्थितिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- बड़े पैमाने पर वर्मिन जानवरों को मारे जाने से कृषि क्षेत्र की खाद्य शृंखला में शून्यता/नरिवात की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष को न्यंत्रित करने के घातक तरीके लक्षित प्रजातियों को तो खतरे में डालते ही हैं साथ ही अक्सर गैर-लक्षित जानवरों के लिये भी घातक सदिध होते हैं।
 - वर्ष 2016 में कृषि को हुए नुकसान के कारण कर्नाटक सरकार द्वारा जंगली सूअर की हत्या को वैध किये जाने के बाद कर्नाटक के नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में घोंघे की संख्या में वृद्धि हुई।
 - जंगली सूअरों को पकड़ने के लिये लगाए गए जालों में बाघ, तेंदुआ और भालू (सभी अनुसूची I जानवर) जैसी प्रजातियाँ भी फँस गई थीं।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 के बाद से अब तक रीसस मकाक को चार बार वर्मिन घोषित किया है जिसके परिणामस्वरूप इसकी आबादी में अंततः 33.5% की कमी आई है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष परबंधन के गैर-घातक तरीकों को घातक तरीकों की तुलना में अधिक प्रभावी बताया गया है।
- इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सामूहिक हत्या वास्तविक समस्या को संबोधित नहीं करती है।

मानव-वन्यजीव संघर्षों में वृद्धि का कारण:

- मानव-वन्यजीव संघर्षों में वृद्धि का मुख्य कारण आवास क्षति और अतिक्रमण है।
- विकास परियोजनाओं, औद्योगीकरण और कृषि विस्तार ने वन क्षेत्र को काफी कम कर दिया है।
- इससे अंततः जंगली जानवर कृषि क्षेत्रों के निकट आने को विवश हुए जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

आगे की राह

- मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिये किसी जानवर को 'वर्मिन' घोषित करना न तो स्थायी और न ही प्रभावी समाधान है।
- नतीजतन, फसल क्षति की मात्रा पर एक डेटाबेस बनाए रखने और संघर्ष पैटर्न का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने तथा समस्या पैदा करने वाले जानवरों की गणना किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।
- डेटा के बिना लिये गए अवैज्ञानिक और अचानक नरिण्यों से पारस्थितिकी तंत्र एवं जैवविविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/culling-of-vermin>

